





# जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

डेयरी संयंत्र : करौंदा नाला इमलिया, जबलपुर, पो. बावस 2, अधारताल, जबलपुर 482004 (म. प्र.)  
दूरभाष पी. बी. एक्स. 2353017, 2353051. फ़ैक्स : 0761-2353150



TIN. : 23875801833

आई. एस. ओ. 9001: 2000 एवं 22000:2005 प्रमाणित संस्थान

PAN : AAAAJ0485D

क्रमांक /

/जेएसडीएस/क्षेस/दुसंपनि 2020-21/2020 जबलपुर,

दिनांक-

## दुग्ध संकलन परिवहन हेतु ई-निविदा सूचना

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित., जबलपुर अन्तर्गत दुग्ध संयंत्र/शीतकेन्द्र जबलपुर, बण्डोल, सुकतरा, लखनादौन, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मण्डला, नरसिंहपुर, रीवा, चाकघाट, सिमरिया, सिरमौर, मऊगंज, रामपुर नैकिन, मऊ ब्यौहारी, चितरंगी, सतना एवं अमरपाटन से सम्बद्ध विभिन्न दुग्ध संकलन मार्गों पर दुग्ध सहकारी समितियों से संयंत्र/शीतकेन्द्र तक दुग्ध परिवहन कार्य हेतु ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता एम.पी.सी.डी.एफ. भोपाल की वेबसाईट [www.mpcdf.gov.in](http://www.mpcdf.gov.in) पर मार्ग सम्बन्धी विवरण, नियम एवं अन्य शर्तें प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 15.10.2020 से रू. 500/- ऑनलाईन जमा कर [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) से क्रय कर दिनांक 05.11.2020 समय दोपहर 1:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। प्रतिभूति राशि रू. 5,000/- (रू. पांच हजार) उक्त वेबसाईट पर ऑनलाईन जमा करनी होगी। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। प्राप्त निविदाओं के संबंध में स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ को होगा।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी

**जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर**  
**-निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश-**

- 01- निविदा अमानत की राशि रुपये 5,000.00 (पांच हजार मात्र) website [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) पर आनलाईन जमा करनी होगी।
- 02- प्रत्येक मार्ग के लिये अलग-अलग निविदा प्रस्तुत करना होगी। उक्त निविदा अवधि प्रथमतः दो वर्ष अवधि **01.12.2020 से 30.11.2022** होगी परंतु कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से उक्त अवधि में एक-एक वर्ष वृद्धि करते हुए अनुबंध अवधि में अतिरिक्त वृद्धि 3 वर्ष तक की जा सकेगी।
- 03- निविदा में उल्लेखित दर में समस्त व्यय सम्मिलित माने जावेंगे, निविदा दरें प्रति किलोमीटर में प्रस्तुत की जानी है। निविदा की दर स्पष्ट शब्दों एवं अंकों में अलग-अलग लिखी जावे। किसी शर्त वाली निविदा को मान्य नहीं किया जावेगा। निविदा प्रपत्र पर निर्धारित स्थान पर निविदाकार का पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्यतः चस्पा किया जावे।
- 04- किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर वह फर्म भागीदारी कानून के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिये। इसका प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। फर्म के सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होंगे, यदि किसी एक द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है तो निविदा के साथ इस आशय का मुख्तारनामा संलग्न करना अनिवार्य है।
- 05- निविदा अस्वीकृत होने पर अमानत राशि निविदाकार के खाते में स्वतः वापिस हो जावेगी।
- 06- निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित अवधि में सुरक्षा निधि रुपये 10,000.00 (रु. दस हजार मात्र) जमा कर रुपये 1,000.00 (रु. एक हजार मात्र) के नान ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर एवं वॉटर मार्क पेपर पर टाइप करवाकर अनुबंध निष्पादित करना होगा। निर्धारित समयावधि में अनुबंध नहीं किया जाता है तो ठेका निरस्त कर अमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी।
- 07- सफल निविदाकार को एक माह के देयक के बराबर सुरक्षा निधि राशि दुग्ध संघ में जमा करना होगी। इसमें से रुपये 10,000.00 (रुपये दस हजार) मात्र अनुबंध निष्पादन के पूर्व जमा करवाकर शेष राशि परिवहन देयकों से अनुबंध अवधि के प्रथम तीन माह के अन्दर काट कर जमा कर ली जावेगी। अमानत राशि पर संघ द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
- 08- पृथक-पृथक मार्ग पर एक ही वाहन क्रमांक की निविदा प्राप्त होने पर तथा स्वीकृत होने पर दुग्ध संघ द्वारा उसे जिस मार्ग के लिये स्वीकृत किया जावेगा वह निविदाकार को मान्य होगा।



- 09- किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
- 10- निविदा स्पष्ट पूर्ण भरी होनी चाहिये। अस्पष्ट निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
- 11- निविदा प्रपत्र के साथ वाहन के पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति बेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक है एवं निविदा स्वीकृत होने पर सत्यापन हेतु उसकी मूल प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी परन्तु यदि निविदाकार द्वारा वाहन क्रय किया जा चुका है एवं किसी कारण से उसके नाम पंजीयन हस्तान्तरित नहीं हुआ है तो निविदा प्रस्तुतकर्ता को यह आवश्यक होगा कि निविदा के साथ वाहन खरीदी से सम्बन्धित विक्रय प्रमाण पत्र (सेल डीड) प्रमाण (सेल डीड/विक्रय प्रमाण पत्र) वाहन अपने नाम पंजीकृत करवाकर उसकी छायाप्रति एवं मूल पंजीयन प्रस्ताव प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा प्रतिभूति राजसात की जाकर निविदा निरस्त की जा सकेगी।
- 12- निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को अपना वाहन निरीक्षण हेतु निर्धारित दिनांक, स्थान एवं समय पर लाना होगा।
- 13- परिवहन ठेकेदार को परिवहन कार्य प्रारंभ करने के एक माह के अन्दर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में संघ के उत्पादों का विज्ञापन अनुबंधित वाहन पर लिखवाना होगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर निर्धारित अवधि में विज्ञापन नहीं लिखवाया जाता है तो संघ द्वारा विज्ञापन लिखवाया जावेगा एवं उसका समस्त व्यय वाहन ठेकेदार के देयक से काटा जावेगा।
- 14- सफल निविदाकार को स्वयं के व्यय पर दुग्ध संघ के अधिकृत जीपीएस प्रदायक से जीपीएस सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा, जिसकी राशि परिवहनकर्ता के देयक से काटी जावेगी। यदि उनके द्वारा जीपीएस नहीं लगवाया जाता है तो दुग्ध संघ द्वारा अपने अधिकृत जीपीएस प्रदायक से जीपीएस सिस्टम लगवाया जावेगा एवं व्यय की राशि परिवहनकर्ता के परिवहन देयक से काटी जावेगी।
- 15- आयकर विभाग से जारी स्थाई लेखा संख्या (PAN) की स्व-प्रमाणित (Self Attested) प्रति संघ को प्रस्तुत करना होगा तभी परिवहन देयकों का भुगतान किया जा सकेगा। निविदा प्रपत्र के साथ पहचान पत्र (पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई.डी., राशन कार्ड- कोई एक) की छायाप्रति जो स्व-प्रमाणित हो अपलोड करना आवश्यक होगा।
- 16- निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को अनुबंध हेतु प्रतिभूति राशि के साथ जबलपुर दुग्ध संघ की नाम मात्र की सदस्यता प्राप्त करने हेतु रु. 100.00 (एक सौ रूपये) शुल्क जमा करना होगा। ऐसा सदस्य संस्था के प्रबंधन, मतदान तथा लाभ के वितरण में भाग नहीं ले सकेगा। संघ के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बने रहने तक वह नाममात्र का सदस्य बना रहेगा।



- 17- निविदायें आनलाईन निर्धारित तिथि, समय एवं दुग्ध संघ कार्यालय में समिति के समक्ष खोली जाएंगी।
- 18- निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में अनुबंध पत्र सम्पादित नहीं करने की स्थिति में अथवा दुग्ध परिवहन कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में ठेका निरस्त कर अमानत की राशि राजसात कर ली जावेगी।
- 19- निविदाकार द्वारा जो दरें प्रस्तुत की जाएंगी उसका परीक्षण दुग्ध संघ की समिति द्वारा वास्तविक व्यय की गणना कर किया जावेगा। यदि दरें वास्तविक व्यय से कम पाई जाती हैं तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इसे निरस्त करने का अधिकार होगा।
- 20- निविदाकार अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य को दूध के निजी व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न नहीं होना चाहिए।
- 21- सफल निविदाकार को स्वयं के व्यय पर वाहन की पेनल हाईट वाहन की क्षमता अनुसार 3 से 4 फीट रखनी होगी, जिसका व्यय स्वयं परिवहन ठेकेदार द्वारा वहन किया जावेगा।



- 22- ऐसे निविदाकार जिन्होंने विगत वर्षों में दुग्ध संघ अंतर्गत दुग्ध संकलन परिवहन का कार्य किया है एवं उनके देयकों में से काटी गई खट्टे/फटे दूध की राशि कुल परिवहन देयक राशि के 10 प्रतिशत या उससे अधिक है तो ऐसे निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदाओं को अमान्य करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ को होगा।

- 23- निविदा कार्यक्रम की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	जिले का नाम	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	निविदा की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	जबलपुर	मातनपुर-पाटन-जबलपुर	05.11.2020	6.11.2020
2	जबलपुर	फूलर-शहपुरा-जबलपुर	05.11.2020	6.11.2020
3	जबलपुर	पाटन-जबलपुर	05.11.2020	6.11.2020
4	मण्डला	मण्डला-नैनुपर-केवलारी	05.11.2020	7.11.2020
5	मण्डला	मण्डला-पिण्डरई	05.11.2020	7.11.2020
6	नरसिंहपुर	गोटेगांव-नरसिंहपुर	05.11.2020	9.11.2020
7	नरसिंहपुर	उसरी-करपगांव-नरसिंहपुर	05.11.2020	9.11.2020
8	नरसिंहपुर	घोघरा-मुंगावानी-नरसिंहपुर	05.11.2020	9.11.2020
9	छिंदवाड़ा	चौरई-छिंदवाड़ा	05.11.2020	10.11.2020
10	छिंदवाड़ा	मोहखेड़-छिंदवाड़ा	05.11.2020	10.11.2020
11	छिंदवाड़ा	सांवरी-छिंदवाड़ा	05.11.2020	10.11.2020
12	छिंदवाड़ा	उमरेठ-छिंदवाड़ा	05.11.2020	10.11.2020
13	छिंदवाड़ा	कोठिया-छिंदवाड़ा	05.11.2020	10.11.2020

14	छिंदवाड़ा	शिवपुरी-छिंदवाड़ा	05.11.2020	10.11.2020
15	छिंदवाड़ा	जामई-छिंदवाड़ा	05.11.2020	10.11.2020
16	छिंदवाड़ा	खमरा-अमरवाड़ा	05.11.2020	10.11.2020
17	छिंदवाड़ा	भाजीपानी-अमरवाड़ा	05.11.2020	10.11.2020
18	छिंदवाड़ा	सेलटिया-छिन्दीकामत	05.11.2020	10.11.2020
19	छिंदवाड़ा	जामई-मुत्तौर-छिन्दीकामत	05.11.2020	10.11.2020
20	छिंदवाड़ा	सैदालघुंटी-बेलनीढाना- छिन्दीकामथ	05.11.2020	10.11.2020
21	छिंदवाड़ा	मैनीखापा-नांदनवाड़ी	05.11.2020	10.11.2020
22	छिंदवाड़ा	नांदनवाड़ी-मोहगांव	05.11.2020	10.11.2020
23	छिंदवाड़ा	झामटा-बिछुआ	05.11.2020	10.11.2020
24	छिंदवाड़ा	बड़चिचौली-खैरीपैका	05.11.2020	10.11.2020
25	छिंदवाड़ा	धनेगांव-कुण्डई बी.एम.सी.	05.11.2020	10.11.2020
26	छिंदवाड़ा	अम्बामाली-सांवरी-छिंदवाड़ा	05.11.2020	10.11.2020
27	छिंदवाड़ा	गुमतरा-कुण्डई बी.एम.सी.	05.11.2020	10.11.2020
28	सिवनी	बरौदा-साजपानी- बम्हौडी	05.11.2020	11.11.2020
29	सिवनी	बम्हौडी-जमुआ- बम्हौडी	05.11.2020	11.11.2020
30	सिवनी	सिरौलीपार-भिलमा- बम्हौडी	05.11.2020	11.11.2020
31	सिवनी	ढोडासर्गा-घुनई- बम्हौडी	05.11.2020	11.11.2020
32	सिवनी	खुरसीपार-जामुनपानी- बण्डोल	05.11.2020	11.11.2020
33	सिवनी	बांकी-सागर- जमुनिया-बण्डोल	05.11.2020	11.11.2020
34	सिवनी	गोरखपुर-अंजनिया- बण्डोल	05.11.2020	11.11.2020
35	सिवनी	बम्होडी-मलारा	05.11.2020	11.11.2020
36	सिवनी	अंखीवाड़ा-भीमपाठा- बण्डोल	05.11.2020	11.11.2020
37	सिवनी	दुरिया-आमाझिरी- सुकतरा	05.11.2020	11.11.2020
38	सिवनी	सुकतरा-बिरहौली- परतापुर	05.11.2020	11.11.2020
39	सिवनी	घोघरी-बेलपेट	05.11.2020	11.11.2020
40	सिवनी	गोरखपुर-धनौली- कुरई	05.11.2020	11.11.2020
41	सिवनी	बरैला-मुंडा- बम्हौडी	05.11.2020	11.11.2020
42	सिवनी	रैयपुरा- सनाईडोंगरी	05.11.2020	11.11.2020
43	सिवनी	बंधा-नांदनी- बण्डोल	05.11.2020	11.11.2020

44	बालाघाट	लालबर्ग (ए)	05.11.2020	12.11.2020
45	बालाघाट	लालबर्ग (बी)	05.11.2020	12.11.2020
46	बालाघाट	समनापुर	05.11.2020	12.11.2020
47	बालाघाट	कटंगी	05.11.2020	12.11.2020
48	बालाघाट	लांजी	05.11.2020	12.11.2020
49	बालाघाट	डोंगरमाली	05.11.2020	12.11.2020
50	बालाघाट	खैरलांजी	05.11.2020	12.11.2020
51	बालाघाट	लामता-नैनपुर	05.11.2020	12.11.2020
52	बालाघाट	लांजी (बी)	05.11.2020	12.11.2020
53	बालाघाट	परसवाडा-डोरा	05.11.2020	12.11.2020
54	बालाघाट	खोलवा-हरानाला	05.11.2020	12.11.2020
55	रीवा	रीवा-गुढ-तमरादेश	05.11.2020	13.11.2020
56	रीवा	ककरहा-बड़ागांव	05.11.2020	13.11.2020
57	रीवा	मऊगंज-तमरी	05.11.2020	13.11.2020
58	रीवा	मऊगंज-हनुमना	05.11.2020	13.11.2020
59	रीवा	सैमरिया-ककरेडी	05.11.2020	13.11.2020
60	रीवा	सैमरिया-कारीगोही	05.11.2020	13.11.2020
61	रीवा	सिरमौर-जवा-खरपटा	05.11.2020	13.11.2020
62	रीवा	सिरमौर-उमरी-रामपुर	05.11.2020	13.11.2020
63	रीवा	सिरमौर-लालगांव	05.11.2020	13.11.2020
64	सीधी	रामपुर नैकिन-भितरी	05.11.2020	13.11.2020
65	सीधी	रामपुर नैकिन-गड़हरा	05.11.2020	13.11.2020
66	शहडोल	मऊ-डोगरीटोला	05.11.2020	13.11.2020
67	सतना	सतना-रामपुर	05.11.2020	16.11.2020
68	सतना	सतना-नागौद	05.11.2020	16.11.2020
69	सतना	सतना-बर्ती-खोहर	05.11.2020	16.11.2020
70	सतना	अमरपाटन-डिठौरा	05.11.2020	16.11.2020
71	सतना	अमरपाटन-ताला	05.11.2020	16.11.2020
72	सतना	अमरपाटन-रामनगर	05.11.2020	16.11.2020
73	सतना	अमरपाटन-उचेहरा	05.11.2020	16.11.2020
74	सिंगरोली	लमसरई-चितरंगी	05.11.2020	16.11.2020
75	सिंगरोली	खिरवा-चितरंगी	05.11.2020	16.11.2020



# जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर

## दुग्ध संकलन परिवहन मार्गों की सूची-

अवधि (01.12.2020 से 30.11.2022 तक)



### (1) दुग्ध संयंत्र, जबलपुर -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित व्यवस्था अनुसार				आगामी व्यवस्था अनुसार		
		वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अधिकतम अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन की क्षमता (मी.टन में)	माडल वर्ष
1	मातनपुर-पाटन-जबलपुर	बोलेरो पिकअप	1.5	170	8.70	2400	1.5	2018
2	फूलर-शहपुरा-जबलपुर	पिकअप	1.7	140	8.67	2900	1.5	2018
3	पाटन-जबलपुर	टाटा एस	0.8	112	8.50	1200	1.0	2018

### (2) दुग्ध शीत केन्द्र, मण्डला -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित व्यवस्था अनुसार				आगामी व्यवस्था अनुसार		
		वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अधिकतम अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन की क्षमता	माडल वर्ष
1	मण्डला-नैनुपर-केवलारी	टाटा पिकअप	3.0	170	9.50	1200	1.0	2018
2	मण्डला-पिण्डरई	ऑटो	0.8	128	7.50	500	0.5	2018

### (3) दुग्ध शीत केन्द्र, नरसिंहपुर -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित व्यवस्था अनुसार				आगामी व्यवस्था अनुसार		
		वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अधिकतम अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन की क्षमता	माडल वर्ष
1	गोटेगांव-नरसिंहपुर	टाटा एस	0.8	180	8.40	1000	1.0	2018
2	उसरी-करपगांव-नरसिंहपुर	टाटा एस	0.8	208	8.40	1000	1.0	2018
3	घोघरा-मुंगावानी-नरसिंहपुर	टाटा एस	0.8	160	8.50	1000	1.0	2018



(4) दुग्ध संयंत्र, छिंदवाड़ा -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित व्यवस्था अनुसार				आगामी व्यवस्था अनुसार		
		वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अधिकतम अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन की क्षमता	माडल वर्ष
1	चौरई-छिंदवाड़ा	महिन्द्रा पिकअप / 2017	1.5	193	8.35	1200	1.0	2018
2	मोहखेड़-छिंदवाड़ा	टाटा 407 / 2012	2.5	145	12.39	3000	3.0	2018
3	सांवरी-छिंदवाड़ा	टाटा 407 / 2012	2.5	115	13.39	3000	3.0	2018
4	उमरेठ-छिंदवाड़ा	महिन्द्रा पिकअप / 2010	1.5	110	10.00	1200	1.0	2018
5	कोठिया-छिंदवाड़ा	टाटा 407 / 2008	2.5	162	14.75	3000	3.0	2018
6	शिवपुरी-छिंदवाड़ा	टाटा एस / 2015	0.8	90	9.05	1000	1.0	2018
7	जामई-छिंदवाड़ा	महिन्द्रा पिकअप / 2018	1.5	182	9.88	1200	1.0	2018
8	खमरा-अमरवाड़ा	टाटा एस / 2014	0.8	51	11.00	800	1.0	2018
9	भाजीपानी-अमरवाड़ा	अशोक लीलैण्ड / 2014	1.5	91	8.00	1200	1.0	2018
10	सेलटिया-छिंदीकामत	बुलेरो पिकअप / 2014	1.5	177	8.00	1200	1.0	2018
11	जामई-मुत्तौर-छिंदीकामत	बुलेरो पिकअप / 2017	1.5	88	8.20	1200	1.0	2018
12	सैदालघुंदी-बेलनीढाना-छिंदीकामत	महिन्द्रा पिकअप / 2015	1.5	88	8.00	1200	1.0	2018
13	मैनीखापा-नांदनवाड़ी	महिन्द्रा पिकअप / 2017	1.5	50	8.27	1200	1.0	2018
14	नांदनवाड़ी-मोहगांव	पिकअप वेन / 2019	1.5	44	9.10	1200	1.0	2018
15	झामटा-बिछुआ	पिकअप वेन / 2016	1.5	98	10.50	1200	1.0	2018
16	बड़चिचौली-खेरीपैका	अशोक लीलैण्ड / 2018	1.5	171	8.90	1200	1.0	2018
17	धनेगांव-कुण्डई बी.एम.सी.	पिकअप वेन / 2018	1.5	122	9.90	1200	1.0	2018
18	अम्बामाली-सांवरी-छिंदवाड़ा	पिकअप वेन / 2018	1.5	130	9.13	1200	1.0	2018
19	गुमतरा-कुण्डई बी.एम.सी.	पिकअप वेन / 2019	1.5	138	10.00	1200	1.0	2018



(5) दुग्ध शीत केन्द्र बण्डोल, जिला- सिवनी -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित व्यवस्था अनुसार				आगामी व्यवस्था अनुसार		
		वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अधिकतम अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन की क्षमता	माडल वर्ष
1	खुरसीपार-जामुनपानी-बण्डोल	पिकअप	1.50	147	9.80	700	0.5	2018
2	बांकी-सागर-जमुनिया-बण्डोल	मैक्स पिकअप	1.50	128	9.80	700	0.5	2018
3	गोरखपुर-अंजनिया-बण्डोल	टाटा एस	1.00	155	10.00	500	0.5	2018
4	बम्होडी-मलारा	मैक्स पिकअप	1.50	151	9.50	1000	1.0	2018
5	अंखीवाड़ा-भीमपाटा-बण्डोल	पिकअप	1.50	179	9.50	1200	1.0	2018
6	बंधा-नांदनी-बण्डोल	अशोक लीलैण्ड	1.25	91	10.00	1200	1.0	2018

(6) दुग्ध शीत केन्द्र सुकतरा, जिला- सिवनी -



क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित व्यवस्था अनुसार				आगामी व्यवस्था अनुसार		
		वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अधिकतम अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन की क्षमता	माडल वर्ष
1	दुरिया-आमाझिरी-सुकतरा	पिकअप	1.50	181	9.60	800	1.0	2018
2	सुकतरा-बिरहौली-परतापुर	बुलेरो पिकअप	1.50	215	9.20	1000	1.0	2018
3	घोघरी-बेलपेट	पिकअप	1.50	125	8.95	700	0.5	2018
4	गोरखपुर-धनौली-कुरई	पिकअप	1.50	58	9.60	500	0.5	2018

(7) दुग्ध शीत केन्द्र लखनादौन, जिला- सिवनी -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित व्यवस्था अनुसार				आगामी व्यवस्था अनुसार		
		वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अधिकतम अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन की क्षमता	माडल वर्ष
1	बरौदा-साजपानी-बम्हौडी	पिकअप	1.50	130	10.95	1000	1.0	2018
2	बम्हौडी-जमुआ-बम्हौडी	पिकअप	1.50	123	11.08	1200	1.0	2018
3	सिरौलीपार-भिलमा-बम्हौडी	सुपर केरी	1.00	68	8.45	500	0.5	2018
4	ढोडासरा-घुनई-बम्हौडी	महिन्द्रा मैक्सिमो	1.00	96	9.15	600	0.5	2018
5	बरैला-मुंडा-बम्हौडी	टाटा एस	1.00	104	9.50	800	0.5	2018
6	रैयपुरा-सनाईडांगरी	पिकअप	1.50	130	8.35	1200	1.0	2018

(8) दुग्ध शीत केन्द्र, बालाघाट -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित व्यवस्था अनुसार				आगामी व्यवस्था अनुसार		
		वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अधिकतम अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन की क्षमता	माडल वर्ष
1	लालबर्रा (ए)	बोलेरो पिकअप	1.50	127	10.50	1200	1.5	2018
2	लालबर्रा (बी)	अशोक लिलेण्ड	1.25	115	10.00	1200	1.0	2018
3	समनापुर	अशोक लिलेण्ड	1.25	138	9.50	1200	1.0	2018
4	कटंगी	अशोक लिलेण्ड	1.25	157	10.50	1400	1.0	2018
5	लांजी	बोलेरो पिकअप	1.5	105	10.35	1200	1.5	2018
6	डोंगरमाली	बोलेरो पिकअप	1.5	121	10.50	1000	1.5	2018
7	खैरलांजी	टाटा जिर्नॉन	1.5	146	10.50	1400	1.5	2018
8	लामता-नैनपुर	टाटा एस	0.8	84	9.00	800	1.0	2018
9	लांजी (बी)	बोलेरो पिकअप	1.5	100	10.00	1400	1.5	2018
10	परसवाडा-डोरा	-	-	120	0.00	500	0.5	2018
11	खोलवा-हरनाला	-	-	126	0.00	600	0.5	2018

(9) दुग्ध संयंत्र, रीवा -



क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित व्यवस्था अनुसार				आगामी व्यवस्था अनुसार		
		वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अधिकतम अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन की क्षमता	माडल वर्ष
1	रीवा-गुड-तमरादेश	बुलेरो पिकअप	1.4	145	8.70	800	1.0	2018

(10) दुग्ध शीतकेन्द्र, चाकघाट -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित व्यवस्था अनुसार				आगामी व्यवस्था अनुसार		
		वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अधिकतम अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन की क्षमता	माडल वर्ष
1	ककरहा-बड़ागांव	महिन्द्रा बुलेरो पिकअप	1.4	84	10.45	600	0.5	2018

(11) दुग्ध शीतकेन्द्र, मऊगंज -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित व्यवस्था अनुसार				आगामी व्यवस्था अनुसार		
		वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अधिकतम अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन की क्षमता	माडल वर्ष
1	मऊगंज-तमरी	महिन्द्रा जीतो	0.7	117	9.15	800	1.0	2018
2	मऊगंज-हनुमना	महिन्द्रा बुलेरो पिकअप	1.4	70	10.45	800	1.0	2018

(12) दुग्ध शीतकेन्द्र, सिमरिया -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित व्यवस्था अनुसार				आगामी व्यवस्था अनुसार		
		वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अधिकतम अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन की क्षमता	माडल वर्ष
1	सेमरिया-ककरेडी	पिकअप	1.4	64	9.60	250	0.5	2018
2	सेमरिया-कारीगोही	पिकअप अशोक लीलैण्ड	1.2	106	9.85	400	0.5	2018

(13) दुग्ध शीतकेन्द्र, सिरमौर -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित व्यवस्था अनुसार				आगामी व्यवस्था अनुसार		
		वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अधिकतम अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन की क्षमता	माडल वर्ष
1	सिरमौर-जवा-खरपटा	पिकअप	1.4	90	9.20	400	0.5	2018
2	सिरमौर-उमरी-रामपुर	आटो	0.4	73	6.50	300	0.5	2018
3	सिरमौर-लालगांव	आटो	0.4	84	5.45	300	0.5	2018



(14) दुग्ध शीत केन्द्र, रामपुर नैकिन (सीधी) -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित व्यवस्था अनुसार				आगामी व्यवस्था अनुसार		
		वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अधिकतम अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन की क्षमता	माडल वर्ष
1	रामपुर नैकिन-भितरी	टाटा वैन	0.8	91	6.90	400	0.5	2018
2	रामपुर नैकिन-गड़हरा	आटो	0.4	60	5.90	200	0.5	2018

(15) दुग्ध शीत केन्द्र, मऊ ब्यौहारी (शहडोल) -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित व्यवस्था अनुसार				आगामी व्यवस्था अनुसार		
		वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अधिकतम अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन की क्षमता	माडल वर्ष
1	मऊ-डोगरीटोला	पिकअप	1.4	72	8.95	600	0.5	2018

(16) दुग्ध शीत केन्द्र, सतना -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित व्यवस्था अनुसार				आगामी व्यवस्था अनुसार		
		वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अधिकतम अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन की क्षमता	माडल वर्ष
1	सतना-रामपुर	टाटा एस	0.7	102	8.05	300	0.5	2018
2	सतना-नागौद	महिन्द्रा जीतो	0.7	110	8.00	200	0.5	2018
3	सतना-बर्ती-खोहर	टाटा एस	0.7	150	6.89	400	0.5	2018
4	अमरपाटन-डिठौरा	महिन्द्रा बुलेरो पिकअप	1.4	110	9.95	600	0.5	2018
5	अमरपाटन-ताला	टाटा एस मेघा	0.7	116	8.89	450	0.5	2018
6	अमरपाटन-रामनगर	टाटा जीनॉन	01	144	9.50	600	0.5	2018
7	अमरपाटन-उचेहरा	महिन्द्रा जीतो	0.7	115	8.05	300	0.5	2018

(17) दुग्ध शीत केन्द्र, चितरंगी, जिला- सिंगरौली -

क्र.	दुग्ध संकलन मार्ग का नाम	वर्तमान में संचालित व्यवस्था अनुसार				आगामी व्यवस्था अनुसार		
		वर्तमान में संचालित वाहन का प्रकार	वाहन की क्षमता (मी.टन में)	सत्यापित दूरी कि.मी.	वर्तमान में स्वीकृत दर	अधिकतम अनुमानित दुग्ध संकलन	अपेक्षित वाहन की क्षमता	माडल वर्ष
1	लमसरई-चितरंगी	बोलेरो पिकअप	1.2	106	10.20	400	0.5	2018
2	खिरवा-चितरंगी	बोलेरो पिकअप	1.2	94	10.20	350	0.5	2018

नोट- प्रतिपाली दर्शायी गई दूरी अनुमानित है। वास्तविक दूरी कम/अधिक भी हो सकती है।



## अनुबंध का प्रारूप



अनुबंधकर्ता  
का फोटो

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक .....को निष्पादित किया गया  
जिसका प्रथम पक्ष (निविदाकार) .....श्री/श्रीमति.....

निवासी ..... एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमति.....से है एवं  
द्वितीय पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., जबलपुर अथवा  
उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी हैं।

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., जबलपुर द्वारा गठित दुग्ध सहकारी समितियों के संग्रह  
स्थल से दुग्ध केन ढक्कन सहित एवं सामग्री आरएमआरडी...../दुग्ध शीत  
केन्द्र.....तक एवं आरएमआरडी...../दुग्ध शीत केन्द्र.....  
.....से खाली केन ढक्कन सहित एवं सामग्री संस्था तक पहुंचाने हेतु परिवहन करने वास्ते  
प्रथम पक्षकार वाहन का पंजीयन क्रमांक.....से द्वितीय पक्षकार  
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., जबलपुर द्वारा निर्धारित समय पर वाहन परिवहन हेतु  
आवेदन किया है और द्वितीय पक्षकार ने इसमें आगे लिखे गये निबंधनों एवं शर्तों पर प्रथम  
पक्षकार का आवेदन परिवहन दर रुपये.....अक्षरी रुपये.....  
.....प्रति कि.मी. पर निम्नलिखित समस्त शर्तों के अनुसार अनुबंध किया जाता है:-

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित, नोटरी  
करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्तें उभय पक्षों को मान्य होगी -

01. यह कि अ) यह कि ठेका अवधि दिनांक.....से दिनांक.....  
तक प्रभावशील रहेगा।  
ब) अनुबंध दो वर्ष पश्चात् संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति  
होने पर एक-एक कर अधिकतम तीन वर्ष तक (कुल 5 वर्ष) तक बढ़ाया जा सकता है।
02. यह कि इन शर्तों को दुग्ध संकलन परिवहन ठेके की शर्तें कहा जावेगा। शर्तों में  
जहां-जहां दुग्ध संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.,  
जबलपुर माना जावेगा, डेयरी का तात्पर्य जबलपुर डेयरी या शीत केन्द्र.....  
.....होगा। समिति का तात्पर्य दुग्ध सहकारी समितियों से होगा।
03. यह कि (अ) प्रतिदिन सुबह एवं शाम को निर्धारित समय पर धुले हुये खाली केन  
ढक्कन सहित संस्थाओं में पहुंचाने एवं दूध से भरे केन ढक्कन सहित डेयरी/दुग्ध शीत  
केन्द्र तक लाने की जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी। इस हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा  
समय-समय पर आवश्यकतानुसार दी गई निर्धारित समय सारणी प्रथम पक्ष को मान्य  
होगी, मार्ग पर किसी संस्था का दूध न लाने की दशा में प्रथम पक्ष को कारण सहित  
लिखित में सूचना द्वितीय पक्ष को उसी दिन/पाली में देनी होगी इस प्रकरण की जांच  
करने पर द्वितीय पक्ष का निर्णय अंतिम एवं प्रथम पक्ष को मान्य होगा।

(ब) अधिकतम 40 किलो मीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से समय सारणी निर्धारित की जाकर प्रत्येक पाईण्ट से दूध उठाने, खाली केन एवं सामग्री प्रदाय हेतु प्रति पाईण्ट 3 से 5 मिनट समय दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा गति सीमा घटाई/बढ़ाई जा सकेगी।

(स) केन एवं ढक्कन की प्राप्ति एवं प्रदाय मात्रा का हिसाब प्रथम पक्ष को रखना होगा संस्थाओं में केन ढक्कन बदलने की दशा में अथवा गुम होने की दशा में प्रथम पक्ष को एक सप्ताह के अंदर निराकरण करना होगा, अन्यथा केन व ढक्कन की कीमत परिवहन बिल से काट ली जावेगी एवं किया गया कटौत्रा वापस नहीं किया जावेगा।

04. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा संस्था को दिये जाने वाले सभी सामान जैसे पशु आहार, घी, मिनरल मिक्सचर, चारा बीज, घी-टीन/पैकेट, संस्थाओं को लगने वाला मिल्कोटेस्टर, टेस्टिंग सामान एवं स्टेशनरी आदि सामान समितियों को भेजा जाता है, इसका लेखा-जोखा प्रथम पक्ष को रखना होगा एवं सामान अगली पाली में समिति तक पहुंचाना होगा। वाहन ठेकेदार को संबंधित समिति को सामान पहुंचाकर प्राप्ति रसीद तीन दिन में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा इसकी राशि प्रथम पक्षकार के परिवहन देयक से काटी जावेगी एवं काटी गई राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जावेगी, तथा लगातार तीन बार शिकायतें रहती है तो वाहन बंद कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।



यह कि यदि किसी कारण से संकलन बंद रखा जाता है और द्वितीय पक्ष द्वारा इसकी सूचना दी जाती है, तो प्रथम पक्ष को उन पालियों का कोई भाड़ा देय नहीं होगा।

यह कि निर्धारित समय में संस्थाओं का दूध डेयरी तक लाने की पूरी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरी समान क्षमता के वाहन की व्यवस्था प्रथम पक्ष को करना होगी, किसी भी दशा में डेयरी पर वाहन के समय पर नहीं पहुंचने की स्थिति में, दूध खराब होने पर जो हानि होगी वह कंडिका 08 अनुसार प्रथम पक्ष से वसूल की जावेगी। अनुबंधित वाहन परिवर्तित करने पर उसी क्षमता का वाहन दुग्ध संकलन हेतु द्वितीय पक्ष की अनुमति से चलाना होगा, अन्यथा क्षमता अनुसार परिवहन देयक का न्यूनतम दर से भुगतान किया जावेगा, साथ ही यदि किसी दिन प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध संकलन हेतु वाहन नहीं भेजा जाता है, एवं द्वितीय पक्ष को व्यवस्था कर वाहन भेजना पड़ता है इससे खट्टा/फटा दूध एवं दर अंतर की जो भी हानि होगी, वह भी प्रथम पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि में से काटी जा सकेगी।

07. यह कि संकलन वाहन में परिवहन के समय केन/डिब्बे/बोतल/जार में पानी/तेल/डीजल इत्यादि खाली बर्तन एवं अन्य सामग्री नहीं रखी जावेगी, यदि पाई जाती है तो एक दिवस के परिवहन देयक के बराबर राशि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी, साथ ही यदि इस कारण दूध खराब हुआ तो दूध की हानि राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि में से काटी जा सकेगी।

08. यह कि प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों (ऐसे कृत्याकृत्य जिनके लिये स्वयं प्रथम पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार न हो, को छोड़कर) जो प्रथम पक्ष के काबू के बाहर हो, जैसे कारणों को छोड़कर वाहन के निश्चित समय पर नहीं आने की दशा में खराब होने वाले दूध की हानि को खट्टा होने पर 50% एवं फटा होने पर 70% मूल्य का देनदार प्रथम पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी अवधि के देयक से काट ली जावेगी।
09. यह कि क्रमांक 08 में उल्लेखित प्राकृतिक प्रकोप/प्रथम पक्ष के काबू के बाहर के मानवीय कृत्या-कृत्यों का पंचनामा बनाकर प्रथम पक्ष द्वारा उसी पाली के कार्यकाल में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके लिये दुग्ध संघ के अधिकृत प्रतिनिधि के सत्यापन होने पर कार्यालयीन कार्यवाही के उपरांत काटी गई राशि प्रथम पक्ष को वापिस की जा सकेगी।
10. यह कि एक्सीडेंट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है, तथा दूध की नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी एवं क्षति की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से वसूल की जा सकेगी।



- यह कि वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः प्रथम पक्ष का रहेगा। यदि डीजल के अभाव में दुग्ध संकलन नहीं किया जाता है या वाहन देरी से भेजा जाता है, तो इससे समिति/संघ को होने वाली हानि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी। अनुबंधित वाहन में शासन के नियमों का पालन करते हुए ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जांच में डीजल के स्थान पर घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिये अन्य वाहन की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली प्रथम पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही की जा सकेगी।
12. यह कि प्रथम पक्ष अथवा उसके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने की दशा में दूध का जो भी परीक्षण परिणाम होगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।
13. यह कि संघ के कार्य से संघ/संस्था के कर्मचारी को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।
14. यह कि संघ से प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नहीं लाई जावेगी यदि ऐसा करते हुए किसी दिन पाया जाता है तो संघ जो दण्ड करेगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा। यह दण्ड अधिकतम उसी पाली के परिवहन देयक से अधिक नहीं होगा। यदि ऐसा दण्ड करने की एक बार से अधिक बार की स्थिति आई, तो संघ को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध को उक्त कारण से



निरस्त कर वाहन संचालन बंद कर दें, तथा हानि की वसूली कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।

15. यह कि (अ) पशु आहार ले जाने पर दुग्ध संघ द्वारा रु. 5/- प्रति बैग की दर पर वास्तविक भुगतान किया जावेगा। समिति प्वाइन्ट पर उतारने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की रहेगी। टाटा 407 या छोटे वाहन में समितियों की मांग अनुरूप पशु आहार ले जाना आवश्यक होगा।

(ब) यह कि पशु आहार के अलावा अन्य सामग्री जो परिवहन होगी, उसका कोई भाड़ा देय नहीं होगा, जिसमें मार्ग में नई खोली जाने वाली समितियों का सामान भी सम्मिलित होगा, साथ ही बंद समितियों का सामान वापस लाया जावेगा। उक्त सामान लाने एवं ले जाने में सावधानी रखी जावेगी। यदि असावधानी से कोई नुकसान होगा तो प्रथम पक्ष की जिम्मेदारी रहेगी एवं हानि होने पर प्रथम पक्ष के देयक से राशि काटी जा सकेगी।



यह कि संघ द्वारा समितियों को प्रदाय हेतु दिये गये पशु आहार से यदि संस्था पर पशु आहार कम उतारा जाता है तो संघ को अधिकार होगा कि कम उतारे गये पशु आहार की राशि एवं साथ ही रु. 200.00 प्रति बैग की दर से अर्थदण्ड वसूल कर ले।

(द) यह कि पशु आहार वितरण के लिये दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर प्रथम पक्ष से प्रतिदिन प्रति बैग रु. 200.00 प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दण्ड वसूल किया जा सकेगा। इसके पश्चात् भी पशु आहार नहीं ले जाने पर संघ द्वारा अलग से वाहन द्वारा पहुंचाया जावेगा, जिसका वास्तविक परिवहन व्यय प्रथम पक्ष के देयक से काटा जावेगा।

16. यह कि (अ) संघ द्वारा निर्देशित रीति से प्रदत्त ट्रकशीट अनिवार्यतः भरवाने का कार्य प्रथम पक्ष द्वारा किया जावेगा। डिलेवरी चालान ट्रकशीट के साथ प्रस्तुत किया जावेगा, ऐसा न करने पर समितियों से प्राप्त शिकायतें प्रथम पक्ष को मान्य होगी तथा ऐसी हानि प्रथम पक्ष के देयक से वसूली योग्य होगी। मार्ग की उन समस्त समितियों पर जहां पर सीधे वाहन लगाया जाता है ऐसी समितियों की केन संख्या एवं समय की जानकारी समिति कर्मचारियों से पूरी कराई जावेगी। समिति की खाली केन दूध से भरी केन चढ़ाते समय ही प्रदान की जावेगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है एवं केन बीच में उतारे जाते हैं तो इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा तथा दुरुपयोग पर आर्थिक दण्ड दिया जा सकेगा।

- (ब) प्रथम पक्ष द्वारा वाहन पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे तथा उनके कृत्या-कृत्य के लिये द्वितीय पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। प्रथम पक्ष जो भी कर्मचारी वाहन संचालन हेतु रखेगा उनके संबंध में समस्त वैधानिक नियमों का पालन करने की जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी। इनके द्वारा लापरवाही/अनियमितता अथवा अभद्र व्यवहार करने की दशा में संघ के आदेशानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही करना होगा।
- (स) प्रथम पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्य/संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो संघ को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड से दण्डित करे या प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें तथा आगामी 02 वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दे।

17. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों का निरंतर उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुये वाहन बंद करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर लें। इसके अतिरिक्त यदि इस कारण द्वितीय पक्ष को कोई हानि होती है, तो वह भी प्रथम पक्ष के देयक से वसूल कर लें।



18. यह कि अनुबंध समाप्ति के पश्चात् राशि वापस प्राप्त करने के लिये समिति द्वारा प्रदत्त बकाया नहीं के प्रमाण पत्र, जो कि मार्ग पर्यवेक्षक से सत्यापित कर प्रस्तुत होंगे, द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि, ऐसे समस्त वसूली योग्य राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक तथा प्रतिभूति राशि से कटौत कर लें। यदि कटौत शेष रहता है, तो वसूली हेतु शासन के नियमानुसार राशि वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी एवं परिवहनकर्ता को काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा। काली सूचीबद्ध किये जाने में वाहन ठेकेदार सहित वाहन एवं वाहन परिचालन हेतु वाहन के संबंधित कर्मचारियों को भी कालीसूची किया जा सकेगा। यदि एक ही वाहन मालिक के दुग्ध संघ के अन्य दुग्ध संकलन मार्गों पर भी वाहन चल रहें हैं तो उन्हें भी काली सूचीबद्ध किया जा सकेगा।
19. यह कि संघ द्वारा निर्देशित किये गये दुग्ध संकलन मार्गों को बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार संघ को रहेगा। यदि संभव हुआ तो संघ द्वारा मार्ग को अन्य मार्ग में परिवर्तन किया जाकर उस मार्ग की दुग्ध संस्था का परिवहन कार्य भी करवाया जा सकता है। इसी तरह जितनी भी दूरी घटे-बढ़े, उसे स्वीकृत दर से भाड़े का भुगतान किया जावेगा। साथ ही मार्ग की दुग्ध संस्थाओं को भी घटाया/बढ़ाया या परिवर्तित किया जा सकता है एवं नवीन दुग्ध संस्थाओं के गठन पर उनको भी इसमें शामिल या अन्य मार्गों में शामिल किया जा सकेगा, जो कि वाहन ठेकेदार को मान्य होगा। यदि अनुबंधित दुग्ध मार्ग पर संकलन अत्यधिक कम हो जाता है तो अल्पकालीन सूचना पर मार्ग का संकलन स्थगित किया जा सकता है। संकलन वृद्धि पर पुनः मार्ग को प्रारंभ किया जा सकेगा। जितने दिन संकलन स्थगित रखा जाता है, उतने दिनों का वाहन ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। साथ ही यदि अनुबंधित मार्ग पर संकलन

कम हो जाता है तो संघ हित में मार्ग को शटल अथवा बन्द किया जाकर अन्य मार्ग से संबद्ध किया जा सकेगा। शटल मार्ग करने से दूरी कम होने पर भी अनुबंध दर से ही जितना वाहन चलेगा उतनी दूरी का भुगतान किया जावेगा।

20. यह कि अनुबंधित वाहनों के ऊपर एवं पीछे त्रिपाल का हुड आवश्यक रूप से लगा होना चाहिए। अन्यथा वाहन निर्धारित समय या समय से पूर्व आने पर भी खट्टे/फटे दूध की हानि राशि प्रथम पक्ष के देयक से काटी जावेगी एवं आर्थिक दण्ड भी किया जावेगा तथा इससे होने वाली अन्य हानियों का कटौती भी प्रथम पक्ष के देयक से किया जा सकेगा। अनुबंधित वाहन में पीछे की ओर बिजली का बल्ब चालू हालत में रहेगा, जिससे खाली केनो को गिनने में कोई दिक्कत न हो। इसी प्रकार संघ की सूचना पर दूध से भरे केनो पर पानी छिड़कने की व्यवस्था भी प्रथम पक्ष को करना होगी। ऐसा न करने पर जो हानि होगी, उसका दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
21. यह कि यदि चेकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करने पर पाया जाता है कि, वाहन कर्मचारी दूध में गड़बड़ी, हेराफेरी, केन से दूध निकालने, दूध का विक्रय करते हुए, वाहन से दूध से भरे हुए जार/बोटल या दूध पीते हुए पाये जाते हैं या किसी भी प्रकार की अनियमित्तयें करते पाये जाते हैं, मार्ग में पड़ने वाली सभी समितियों को ठेके की अवधि में यदि दूध में कमी आई है और इससे संस्थाओं को एवं संघ को हानि हुई है तो उसका देनदार प्रथम पक्ष रहेगा। यह राशि प्रथम पक्ष के देयक से वसूली योग्य रहेगी तथा प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार भी द्वितीय पक्ष को होगा तथा आगामी दो वर्षों तक संघ की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।
22. यह कि वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो उसका जवाबदार प्रथम पक्ष होगा तथा नुकसान की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।
23. यह कि प्रथम पक्ष हड़ताल/कार्यबंदी नहीं करेगा एवं ना ही इसमें भाग लेगा यदि प्रथम पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि एवं द्वितीय पक्ष द्वारा जो भी दण्ड दिया जावेगा, उसके लिये प्रथम पक्ष जवाबदार रहेगा। साथ ही द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लें।
24. यह कि डेयरी परिधि के अंदर तेज रफतार से वाहन नहीं चलाये जावेंगे, डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नहीं की जावेगी। डेयरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने, धोने जैसे कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका प्रथम पक्ष देनदार रहेगा, साथ ही बिना अनुमति केनो को पानी भरने में प्रयोग नहीं किया जावेगा यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो संघ द्वारा जो दण्ड दिया जावेगा वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा। इसके अतिरिक्त डेयरी परिसर में अंदर आने के पश्चात् जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नहीं जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेंगे। वाहन धुलाई/साफ-सफाई का कार्य दुग्ध संघ परिसर में नहीं किया जावेगा यदि किसी परिवहन ठेकेदार/उसके कर्मचारी द्वारा

ऐसा कार्य किया जाता है तो रू. 500/- प्रतिदिवस का आर्थिक दण्ड उस पर आरोपित किया जावेगा।

25. यह कि वाहन में सामान उतारने व समितियों पर दूध के केन चढ़ाने, उतारने, सामान की देख-रेख करने एवं केनों पर पानी छिड़कने आदि का कार्य भी प्रथम पक्ष के द्वारा करवाया जावेगा।
26. यह कि वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है, तो 24 घण्टों में पुनः प्रथम पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।
27. यह कि दुग्ध वाहन पर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऐसी सूचनाएं जिसमें **"दुग्ध विक्रय हेतु नहीं है"** एवं सुदाना, पशु आहार एवं दुग्ध पदार्थ का विज्ञापन लिखवाना होगा एवं इसकी राशि प्रथम पक्षकार द्वारा देय होगी। ऐसा न करने की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा विज्ञापन छपवाये जावेंगे एवं व्यय की राशि परिवहनकर्ता के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी।
28. यह कि दुग्ध वाहन पर द्वितीय पक्ष के अधिकृत जीपीएस प्रदायक से जीपीएस लगवाया जावेगा जिसकी राशि प्रथम पक्ष द्वारा वहन की जावेगी। ऐसा न करने की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा अधिकृत जीपीएस प्रदायक से जीपीएस सिस्टम लगवाया जावेगा एवं व्यय की राशि परिवहनकर्ता के परिवहन देयक से काटी जा सकेगी।
29. यह कि इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि संघ/समितियों की निकलेगी तो द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष की चल/अचल सम्पत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिये भी प्रथम पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।
30. यह कि परिस्थितिवश अथवा आवश्यकता होने पर द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।
31. यह कि प्रथम पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमति/कु..... संबंध.....उम्र .....को पूर्ण होशोंहवास में नामांकित घोषित करता है। प्रथम पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमति/कु.....को संघ से व्यवहार करने का अधिकारी रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जावेगा।
32. यह कि संघ के कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में प्रथम पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति, पत्नि, पुत्री, सगे भाई बंधु नहीं है यह तथ्य प्रथम पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। अगर जांच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त कर लें।
33. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के बनावाएँ जावेंगे। वह हर समय गाड़ी के साथ रहेंगे एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ के कार्यालय में देंगे। वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक ही रहेगा, कर्मचारी बदलने

पर पुनः उनका परिचय पत्र एवं फोटो कार्यालय में देना होगा। वाहन चालक एवं सहायक का नियुक्ति आदेश प्रथम पक्ष द्वारा जारी किया जावेगा एवं उसकी एक प्रति दुग्ध संघ को भी पृष्ठांकित करेगा। परिवर्तन की स्थिति में दुग्ध संघ को तत्काल सूचित किया जाएगा।

34. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा दुग्ध परिवहन के साथ दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ (घी, मीठा दूध, श्रीखण्ड, मट्ठा) आदि की भरी एवं खाली क्रेट भी लाई एवं ले जाई जावेगी। यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ विपणन की दरें भी अनुमोदित हैं तो किसी प्रकार का अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा। यदि दुग्ध संकलन परिवहन के साथ दुग्ध विपणन की दरें अनुमोदित नहीं हैं और निर्धारित मार्ग के अलावा वाहन को विपणन हेतु भेजा जाता है, तो उसका अनुबंधित दरों से भाड़ा देय होगा। इस हेतु दुग्ध वितरण हेतु निर्धारित समय तक वाहन को रोका जा सकेगा।

(अ) दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु दुग्ध संघ की अनुमोदित दर अनुसार परिवहन भुगतान किया जाएगा। इस हेतु प्रथम पक्ष को क्रेट का पूर्ण हिसाब रखना होगा एवं खाली क्रेट संघ में प्रतिदिन जमा करानी होगी।



(ब) दूध वितरक से प्राप्त मांग एवं रसीदें डेयरी में प्रतिदिन जमा कराना होगी।

(स) दिये गये दूध एवं दूध पदार्थों की पावती संघ में लाकर देनी होगी।

(द) समय पर दूध एवं दूध पदार्थ नहीं पहुंचाने की स्थिति में संपूर्ण दूध एवं दूध पदार्थ का मूल्य वाहन ठेकेदार के देयक से वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

35. यह कि स्थानीय, मध्यप्रदेश, भारत शासन द्वारा जो भी कर लागू किये जावेंगे, वह प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काट लिये जावेंगे एवं उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा किया जावेगा एवं उसका प्रमाण पत्र द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को दिया जावेगा। आयकर विभाग का स्थाई लेखा संख्या नम्बर प्रथम पक्ष देगा।
36. यह कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेन्स प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।
37. यह कि प्रथम पक्ष का जिस दुग्ध संकलन मार्ग का ठेका होता है यदि मार्ग खराब हो तो उन संस्थाओं का दुग्ध संकलन लाने हेतु स्वयं प्रथम पक्ष को व्यवस्था करना होगी, जिसका संपूर्ण दायित्व प्रथम पक्ष का होगा, इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा, यदि ऐसी व्यवस्था करने में प्रथम पक्ष असफल होता है, तो द्वितीय पक्ष द्वारा व्यवस्था की जावेगी वह प्रथम पक्ष को मान्य रहेगी तथा उतनी राशि प्रथम पक्ष के देयक से काटकर संबंधित को भुगतान करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को रहेगा। मार्ग खराब होते हुए भी वैकल्पिक व्यवस्था न करते हुए अपने वाहन का उपयोग प्रथम पक्ष करता है तथा इस कारण यदि संघ/समितियों को हानि होती है, तो उस हानि का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा एवं ऐसी हानि प्रथम पक्ष के देयक से काटने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

38. यह कि दूसरी मंजिल में केन लाने हेतु पटियों का पार्टीशन करना होगा। किसी भी स्थिति में केनों के ऊपर केन रखने की अनुमति नहीं दी जावेगी। पार्टीशन व्यवस्था प्रथम पक्ष को स्वयं करना होगी।

39. यह कि वाहन में दुग्ध से भरे केनों की क्षमता निम्नानुसार होगी:-

0.5 टन क्षमता का वाहन	13 केन
1 टन क्षमता का वाहन	25 केन
1.5 टन क्षमता का वाहन	40 केन
2 टन क्षमता का वाहन	50 केन
3 टन क्षमता का वाहन	75 केन



अनुबंधित वाहन में उक्त उपरोक्त क्षमता से अधिक केन आने पर प्रति पाली रु. 5.00 प्रति केन का अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।

40. यह कि परिवहन देयकों के भुगतान हेतु प्रत्येक माह दिनांक 01 से दिनांक 15 तक के देयक प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक 18 तक संघ/संयंत्र में देना होंगे, जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 10 तक किया जावेगा, उसी प्रकार प्रत्येक माह की दिनांक 16 से दिनांक 30/31 तक के देयक आगामी माह की दिनांक 03 तक संघ/संयंत्र में प्रस्तुत करना होंगे जिसका भुगतान आगामी माह की संभवतः दिनांक 25 तक किया जावेगा।

41. यह कि संघ द्वारा दुग्ध समितियों हेतु प्रति पाली दी जाने वाली वेट स्लिप एवं एडवाईज पहुंचाने एवं उसकी प्राप्ति लाकर संघ कार्यालय में समय पर पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रति पाली प्रति संस्था के हिसाब से राशि रूपये 10.00 दण्ड स्वरूप प्रथम पक्ष के देयक से कटौती की जावेगी।

42. यह कि यदि किसी दुग्ध संकलन मार्ग की किसी भी एक या अनेक समितियों में निरंतर दूध या फैंट की शिकायत संघ कार्यालय, को प्राप्त होती है, तो संघ के अधिकारी/पर्यवेक्षक 03 पाली तक उक्त मार्ग के दुग्ध वाहन के साथ जावेंगे, अधिकारी/पर्यवेक्षक दूध वाहन के साथ संलग्न करने पर उन दिनों में यदि किसी भी समिति में कोई कमी न आती है, तो यह मानकर कि दुग्ध या फैंट में कमी वाहन स्तर पर ही हो रही है, समितियों को होने वाले नुकसान की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक/प्रतिभूति राशि से काटी जावेगी।

43. यह कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परंतु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यों में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। प्रथम पक्ष द्वारा इस अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस अनुबंध पत्र को निरस्त कर सकेंगे व अनुबंध पत्र निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी।

44. यह कि संघ द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार ही प्रथम पक्ष को दुग्ध परिवहन कार्य करना होगा। यदि दुग्ध परिवहन वाहन निर्धारित समय पर दुग्ध परिवहन पाईन्ट पर नहीं पहुंचता है तो ऐसी दशा में समिति कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात् एक घण्टे तक परिवहन पाईन्ट पर उपस्थित रहेगा। इस अवधि में भी वाहन दुग्ध परिवहन नहीं करता है तो उस दूध के खट्टे/फटे से हुई हानि की राशि एवं उस दूध को डेयरी डाक/शीत केन्द्र तक पहुंचाने में समिति द्वारा किये गये व्यय की राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।
45. यह कि स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है, तो ही अनुबंधित दर में कमी/वृद्धि की जावेगी दर में कमी/वृद्धि की गणना निम्नानुसार की जावेगी :-



क्रमांक	वाहन की क्षमता	औसत प्रति लीटर
1	0.5 टन	25 कि.मी.
2	1.0 टन	15 कि.मी.
3	1.5 टन	10 कि.मी.
4	2.0 टन	10 कि.मी.
5	03 टन	08 कि.मी.

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदनुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के अतिरिक्त स्पेयर्स पार्ट्स, ऑईल तथा टायर ट्र्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंध दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

46. यह कि अनुबंधित वाहन पर ड्रायवर एवं क्लीनर प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त उसके स्वयं के निजी कर्मचारी होंगे तथा इन कर्मियों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अथवा अन्य कोई उसी प्रकार के अधिनियमों के अंतर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व प्रथम पक्ष का स्वयं का होगा एवं इसका रिकार्ड तथा कटौती का लेखा-जोखा प्रथम पक्ष को ही रखना होगा।
47. यह कि विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाया जाने पर अनुबंधित दर में 20% का कटौती किया जावेगा किंतु वाहन ठेकेदार को मार्ग पर संकलित पूरा दूध लाना होगा। यह अनुमति वर्ष में 2-3 बार ही दी जा सकेगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि तीन दिवस से अधिक नहीं होगी। यदि इस अवधि में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंधित क्षमता का वाहन नहीं लगाया जाता है तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।
48. यह कि संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर (बी.एम.सी.) स्थापित किये जाने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा।

49. यह कि डेयरी संयंत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनों को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा। यदि प्रथम पक्ष द्वारा मना किया जाता है तो अन्य वाहन व्यवस्था करने पर अंतर की राशि प्रथम पक्ष से वसूल की जा सकेगी।
50. यह कि संघ के द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध संकलन मार्ग निश्चित किया गया है, उसी पर वाहन खाली/भरी चलावें, यदि सत्यापन के समय पाया गया कि, वाहन निर्धारित मार्ग से नहीं चलाया जा रहा है तो न्यूनतम एक पाली के परिवहन का आर्थिक दण्ड किया जावेगा, साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका संपूर्ण अनुबंध अवधि का कटौती किया जावेगा।
51. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा वाहन लगाने के एक सप्ताह के अंदर स्थाई लेखा संख्या (पैन नंबर) स्व सत्यापित की छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी। तत्पश्चात ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्यवाही द्वितीय पक्ष द्वारा की जावेगी।
52. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध अवधि में यदि अपना वाहन आगे नहीं चलाना चाहता है तो उसके लिये वह अन्य ठेकेदार को उसी दर में समान क्षमता एवं मॉडल के वाहन को चलाने के लिये तैयार कर अनुबंध करावेगा इस हेतु हस्तांतरण शुल्क राशि रूपये 5,000.00 संघ में जमा किया जावेगा। प्रथम चार माह में अनुबंध हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जावेगी।
53. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित हो कि अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो।
54. यह कि विवाद होने की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र जबलपुर रहेगा।
55. यह कि प्रथम पक्षकार को सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास 10 से अधिक कमर्शियल व्हीकल नहीं है, यदि ऐसा होता है तो प्रथम पक्षकार उसकी जानकारी अलग से देगा एवं ऐसी स्थिति में परिवहन देयक से टीडीएस कटौती की जा सकेगी।
56. यदि दोनो पक्षों के बीच किसी प्रकार के वाद अथवा विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका निराकरण आर्बिट्रेशन के माध्यम से किया जावेगा जिसके अध्यक्ष जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित जबलपुर के प्राधिकृत अधिकारी/अध्यक्ष होंगे। उनका निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा।





मैं/श्री.....प्रथम पक्षकार ने उक्त अनुबंध शर्तों का अवलोकन भली भांति एवं होशोहवास में कर लिया है तथा मुझे निविदा/अनुबंध की समस्त शर्तें मान्य हैं। निम्न साक्षियों के समक्ष द्वितीय पक्ष से अनुबंध करता हूँ।



साक्षी:

प्रथम पक्षकार

1. हस्ताक्षर .....  
 नाम.....  
 पिता का नाम.....  
 पता.....  
 .....  
 दूरभाष क्र. ....  
 मोबाईल क्र. ....  
 ई-मेल.....

1. हस्ताक्षर .....  
 नाम.....  
 पिता/पति का नाम .....  
 पता .....  
 .....  
 दूरभाष क्र. ....  
 मोबाईल क्र. ....  
 ई-मेल.....

2. हस्ताक्षर .....  
 नाम .....  
 पिता का नाम .....  
 पता .....  
 .....  
 दूरभाष क्र. ....  
 मोबाईल क्र. ....  
 ई-मेल.....

हस्ताक्षर द्वितीय  
 पक्षकार  
 (सील सहित)

.....  
 .....  
 .....

-----\* \* \*-----

## निविदा प्रस्तुत करने हेतु आवेदन प्रपत्र

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित  
जबलपुर (म0प्र0)



आवेदक अपना पासपोर्ट  
साईज का फोटो  
चिपकाएं ।

विषय— दुग्ध संकलन परिवहन हेतु निविदा ।

महोदय,

विषयान्तर्गत आपके कार्यालय द्वारा पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र के दिनांक ..... के संस्करण में प्रकाशित की गई दुग्ध परिवहन निविदा सूचना के संदर्भ में क्रय किये गये निविदा प्रपत्र के साथ प्राप्त अनुबंध की समस्त शर्त एवं अन्य जानकारी मैंने अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ली है। तदनुसार डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र ..... से संचालित दुग्ध संकलन मार्ग (नाम) ..... क्रमांक ..... के लिये मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही निविदा सम्बन्धी जानकारी निम्नानुसार है :-

- (1) निविदाकार का विवरण:- .....
- निविदाकार का नाम— .....
- पिता/पति का नाम— .....
  - पत्र व्यवहार का पता— .....
  - स्थाई पता— .....
  - दूरभाष क्रमांक— .....
  - स्थाई लेखा संख्या (पैन नं.)— .....
- (2) वाहन का विवरण:- .....
- वाहन का प्रकार— .....
  - माडल वर्ष— .....
  - वाहन का पंजीयन क्रमांक— .....
  - वाहन का भार क्षमता मी.टन— .....
- (3) जमा की गई अमानत (ई.एम.डी.) राशि रूपये 5,000/- का विवरण:-रसीद / .....
- दिनांक ..... बैंक का नाम .....

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सत्य व सही है। यदि दी गई जानकारी किसी भी समय त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो इसके लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी एवं इस संबंध में जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।

दिनांक .....

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर  
नाम— .....